

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

### सामान्य निविदा

नवादा जिलान्तर्गत (1) सदर अस्पताल (2) अनुमंडलीय अस्पताल (3) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (4) प्रत्येक ग्रखण्ड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उपकेन्द्र (L1) (चार इकाई) हेतु (क) 24 X 7 अनवरत विद्युत आपूर्ति (220V - 240V) (ख) संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में कपड़ों की धुलाई (ग) अस्पताल के आन्तरिक एवं बाहरी परिसर का साफ - सफाई (घ) अन्तः वासी मरीजों को पथ्य (खान-पान) उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों / फर्मों / कम्पनियों से विहित आवेदन प्रपत्र में अलग - अलग तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, जो दिनांक 28.05.2015 के अपराह्न 5.00 बजे तक कार्यालय कार्य दिवस में जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा में प्राप्त हो जानी चाहिए, निबंधित डाक से आमंत्रित की जाती है। (1) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में सिर्फ एक इकाई तथा एक कार्य को अंकित कर दोनों निविदा एक बड़े लिफाफा में स्पष्ट अंकित एवं सीलबंद स्वीकार किये जायेंगे। (2) तकनीकी निविदा में संलग्न सभी दस्तावेज स्वअभिप्रामाणित होंगे तथा निविदा खोलने के समय सभी कागजातों का मूल प्रति के साथ मिलात किया जायेगा। (3) सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदाकर्ता ही वित्तीय निविदा में भाग ले सकेंगे। (4) सफल निविदादाता को कार्यदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा। (5) एक निविदाकर्ता एक या एक से अधिक कार्य एवं एक या एक से अधिक इकाई के लिए अलग - अलग निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। निविदा दिनांक 29.05.2015 को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, नवादा के प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को निविदा दाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। निविदा से संबंधित कार्यों की विवरणी तथा विषय एवं शर्तों की विस्तृत विवरणी जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है या जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के वेबसाईट [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला क्रय समिति निविदा की शर्तों में अंशतः या पूर्णतः परिवर्तन या निविदा अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

30/4/15

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

30-4-15

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

## कार्य की विवरणी

### (24 X 7 अनवरत वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति)

सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रत्येक प्रखण्ड के चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उपकेन्द्र (L1) एवं सदर अस्पताल, नवादा स्थित रक्त अधिकोष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं अन्य कार्यालय में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत सदर अस्पताल, नवादा के लिये 100 के०भी०ए०, अनुमंडलीय अस्पताल के लिये 30 के०भी०ए०, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये 15 के०भी०ए०, प्रत्येक चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उपकेन्द्र (L1) के लिये 10 के०भी०ए० के ऑटो साइलेन्ट जेनरेटर (Auto Silent DG Set) का सदर प्रति घंटा अंकित करना होगा। जेनरेटर परिचालन का पूर्ण व्यय (ईंधन, टेक्निशियन एवं रख-रखाव सहित) संबंधित निविदादाता को ही करना होगा।

- जेनरेटर से अस्पताल के मेनस्विच तक वायरिंग एजेन्सी को करना होगा।
- अस्पतालों के वायरिंग से छेड़-छाड़ या समानान्तर वायरिंग एजेन्सी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- सदर अस्पताल अन्तर्गत सभी वार्ड यथा महिला वार्ड मेडिकल वार्ड, संक्रमण वार्ड, ओ०टी०, आपातकालिन कक्ष, यक्ष्मा प्रभाग, सिविल सर्जन कार्यालय, जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय, शीत श्रृंखला, प्रसव कक्ष एवं अन्य भवन।
- सफल निविदादाता को साइलेन्ट जेनरेटर (DG Set) क्रय करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जा सकता है एवं जेनरेटर का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही निविदादाता के साथ अनुबंध / एकरारनामा किया जायेगा।
- जेनरेटर आई०एस०आई० मार्क की होनी चाहिए।
- DG Sets shall meet the requirement of environment (Protection) Rules 1986 as laid down by Ministry of Environment and forests, Government of India, read with GSR no. 371 (E) Dated 17.05.2002, GSR 520(E) Dated 01.07.2003 & GSR 448 (E) Dated 12.07.2004 in respect of emission for the engines and in respect of noise level for the DG set for supplies to be made.
- जेनरेटर सेट में समेकित एग्जॉस्टिक इन्वोलोजर होना चाहिए।

### 1. योग्यता (Eligibility Criteria)

#### तकनीकी निविदा :-

- संबंधित एजेन्सी को तीन वर्ष सरकारी, गैर - सरकारी, सरकारी उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में समान प्रकृति के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- संबंधित एजेन्सी के विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
- संबंधित एजेन्सी के विगत दो वर्ष का पाँच लाख रुपये से अधिक का वार्षिक टर्न ओवर एवं संतोषजनक कार्य सम्पादन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- एजेन्सी / फर्म को बैंक द्वारा जारी एक लाख रुपया से अधिक का Solvency Certificate लगाना अनिवार्य होगा।
- एजेन्सी / फर्म के पास अद्यतन लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाईसेंस होना अनिवार्य होगा जिसकी छाया

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

- अग्रधन के रूप में सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के लिये अलग-अलग 50,000 एवं प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र /स्वास्थ्य केन्द्रों (L1) के लिए रू० 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये की दर से बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से भुगतान संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित एजेन्सी/ फर्म / संस्था को अद्यतन आयकर,सेवाकर एवं वाणिज्यकर प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित एजेन्सी/ फर्म/ संस्था को किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

### 1. वित्तीय निविदा :-

एजेन्सी/ फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा :-

जेनरेटर सेवा				
क्रम सं०	क्षमता	जेनरेटर माडा (चालक, मोबिल, एवं रख-रखाव सहित	ईंधन दर प्रति घंटा	कुल लागत
		(क)	(ख)	(क)+(ख)
1.	100 के०वी०ए०			
2.	30 के०वी०ए०			
3.	15 के०वी०ए०			
4.	10 के०वी०ए०			

### अन्य शर्तें :-

- निविदा स्वीकृत होने पर 100/- गैर न्यायिक स्टॉम्प के साथ एकरारनामा पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परन्तु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की अध्यक्षता में की जायेगी। प्रतिवर्ष कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार किया जायेगा।
- समीक्षा में कमी पाये जाने पर तत्काल अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनामा/ अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेन्सी/ फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक गारन्टी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

आंकलन जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा द्वारा किया जायेगा।

- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरान्त लौटा दी जायेगी तथा एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार का Damage या Loss of Property के आलोक में राशि काट ली जायेगी।
- एजेन्सी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथा दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- चयनित एजेन्सी को सभी जेनरेटर रेजिस्ट्रेशन का पहचान पत्र एवं नीला ड्रेस उपलब्ध कराना होगा जिसपर संबंधित एजेन्सी का नाम, कर्मों का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- चयनित एजेन्सी को कार्यादेश मिलने के उपरान्त कार्यरत कर्मियों का नियमानुकूल EPF/ESI में निबंधन कराना होगा।
- उक्त निविदा में नवादा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग एवम जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा में कार्यरत कर्मों/ पदाधिकारी, उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
- यदि एकरारनामा को शर्तों का उल्लंघन न्यूनतम दर निविदादाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुये द्वितीय न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेन्सी/ कर्म को काली सूची में डाला जा सकता है तथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जा सकती है।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

## कार्य की विवरणी

(अन्तःवासी मरीजों का खान-पान)

### (क) खान-पान :-

1. अन्तः वासी मरीजों को खान-पान (क)सुबह के नास्ता में - छः पीस पाँव रोटी, उबला हुआ अण्डा, टेढ़ा पैक दूध (200 मि०ली०) तथा एक मौसमी फल (केला,सेब आदि)(ख)दोपहर के भोजन में-चपाती दो/चावल-125 ग्राम,सब्जी-100ग्राम,दही-100ग्राम,दाल-50ग्राम(ग)शाम का नास्ता में-ग्लुकोज बिस्कीट दो पीस,एक कप चाय(घ)रात्रि भोजन में-चपाती चार पीस-100 ग्राम,दाल-50 ग्राम प्रति मरीज को देना अनिवार्य होगा।

### (ख) योग्यता(Eligibility Criteria)

#### तकनीकी निविदा

1. संबंधित एजेंसी को दो वर्ष का सरकारी, गैर-सरकारी, सरकारी उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव अनिवार्य है।
2. संबंधित एजेंसी का विगत दो वर्ष में कम से कम एक वर्ष 1 लाख रू० का Payment Certificate समान (Similar) प्रकृति के कार्य संपादन एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य है।
4. एजेंसी/फर्म को बैंक द्वारा जारी एक लाख रूपया से अधिक की Solvency Certificate लगाना अनिवार्य है।
5. एजेंसी/फर्म की विगत दो वर्ष का 2 लाख से अधिक का वार्षिक टर्न ओवर प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
6. अग्रधन के रूप में रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रू० मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से भुगतान संलग्न करना होगा।
7. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को अद्यतन आयकर/सेवाकर एवं वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता के पास Food License होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ उनकी छायाप्रति देना अनिवार्य है।

### (ग) वित्तीय निविदा :-

एजेंसी/फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा -

#### खान-पान

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थानों के नाम	स्वीकृत मीनू के अनुसार भोजन	आपूर्ति दर (प्रति व्यक्ति/दिन)
1	सदर अस्पताल		
2	अनुमंडलीय अस्पताल		
3	प्राथमिक स्वा० केन्द्र		
4	L.I स्वास्थ्य केन्द्र एवं अति०प्रा०स्वा०केन्द्र		

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

### अन्य शर्तें :-

- निविदा स्वीकृत होने पर 100/- गैर न्यायिक स्टॉप पर एकरारनामे पेपर में हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परन्तु प्रत्येक वर्ष कार्यों की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की अध्यक्षता में की जायेगी। प्रतिवर्ष कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार किया जायेगा।
- समीक्षा में कमी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है।
- एकरारनाम/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी।  
अनुमानित कुल व्यय का आकलन जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा द्वारा किया जाएगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथा दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों को पहचान पत्र एवं एक नीला ड्रेस उपलब्ध कराना होगा जिस पर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मियों का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- चयनित एजेंसी को कार्यादेश मिलने के उपरांत कार्यरत कर्मियों का नियमानुकूल EPF/ESI में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त निविदा में नवादा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारी उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
- यदि न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसे निर्गत कार्यादेश रद्द करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

## छोटा परिवार सुख का आधार

### District Health Society, Nawada

### जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

### कार्य की विवरणी

#### अस्पताल के आंतरिक एवं बाहरी परिसर की सफाई एवं रख-रखाव

#### (क) अस्पताल के आंतरिक परिसर की सफाई :-

1. अस्पताल के सभी कमरों, वार्ड, बरामदा, शौचालय, पीने के पानी की जगह, बाह्य-कक्ष, शौचालय में किनारे लगे टाईल्स, ओपीडी तथा अन्य सभी जगहों की पूर्ण सफाई पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर से बेकार सामानों का डिस्पोजल (निस्तारण) निर्धारित स्थान पर पहुँचाना।
3. मरीजों को ट्रॉली से पहुँचाना, बेड पैन एवं यूरिनल लगाना।
4. मरीजों के मलमूत्र व अवशिष्ट पदार्थों, रक्त की सफाई, गद्दे कपड़े को जमा कर निर्धारित स्थान पर पहुँचाना।
5. अस्पताल के नाला आदि की सफाई।
6. सफाई कार्य अनवरत 24 घंटे तक चलता रहेगा। इसके लिए तीन शिफ्टों के लिए अलग-अलग सफाई कर्मी रखना होगा।
7. आंतरिक परिसर की साफ-सफाई हेतु विभिन्न आधुनिक मशीनों अर्थात् वैक्यूम क्लिन्जर, स्क्रबर वाटरप्रेसर मशीन आदि का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं सामग्री एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. शौचालय की निश्चित अंतराल पर सफाई प्रत्येक शौच के बाद या व्यवहार नहीं करने पर प्रत्येक 8 घंटे पर तथा फिनाईल की गोली शौचालय में प्रत्येक दिन रखना अनिवार्य होगा।
9. अस्पताल में विभिन्न वार्डों/कमरों में मकड़े का जाल, पंखे एवं अन्य उपकरण की सफाई सुमय-समय पर करना अनिवार्य होगा।
10. छुट्टी के दिनों अर्थात् रविवार या अन्य छुट्टी जिसमें ओपीडी कार्य नहीं हो, उस दिन पूरे अस्पताल के आंतरिक परिसर को सर्फ/पेस्ट/फिनाईल इत्यादि से पानी एवं वाईपर से पूर्णतः सफाई करना अनिवार्य होगा।
11. सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्री जैसे फ्लोर क्लिन्जर, फिनाईल, ग्लास क्लिन्जर, मॉसकिटो एवं कॉक्रोच स्प्रे इत्यादि संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
12. विद्युत चालित वैक्यूम क्लिन्जर तथा मैनुअल झाड़ू पोछा संबंधित संस्था द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को साफ-सफाई में प्रयोग होने वाले Vacuum Cleaner, Scubber, Water Pressure Machine क्रय हेतु 15 दिनों का समय दिया जा सकता है एवं Vacuum Cleaner, Scubber Water Pressure Machine का भौतिक सत्यापन के बाद ही निविदादाता के साथ अनुबंध/एकरारनामा किया जायेगा।
14. एजेंसी द्वारा प्रातः 04:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित अति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वा0केन्द्र के LI में क्रमशः 2,6,4 तथा दो सफाई कर्मी हमेशा मौजूद रखेंगे तथा उनकी उपस्थिति संबंधित अस्पताल में दर्ज करना अनिवार्य होगा। साफ सफाई कर्मी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक/अस्पताल प्रबंधक/स्वास्थ्य प्रबंधक प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश का पालन करेंगे।

सिविल सर्जन सह सहायक सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

### (ख) अस्पताल के बाहरी परिसर की सफाई एवं रख-रखाव :-

1. अस्पताल परिसर की पूरी सफाई करना।
2. अस्पताल परिसर में पार्किंग, गार्डन, खाली जगहों इत्यादि को भी पूर्णतः साफ करना अनिवार्य होगा।
3. अस्पताल परिसर में लगे हुए फूल, पौधे की देखभाल करना, पेड़ पौधों का रख-रखाव एवं वर्ष में दो बार 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को पेड़ पौधे आदि रंग-रोगन करना।
4. अस्पताल के नालों की सफाई करना, चूना, गैमक्सिन एवं ब्लिचिंग पाउडर छिड़काव करना।
5. अस्पताल परिसर में जमा कूड़ा-कचरा आदि को सप्ताह में ट्रैक्टर, ट्रॉली से उठाकर अन्य जगहों पर पहुँचाने का कार्य एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
6. अस्पताल के सभी कमरे, वार्ड, बरामदा शौचालय, पीने के पानी की जगह, बाह्य-कक्ष, शौचालय में किनारे लगे टाइल्स, ओटीडी तथा अन्य सभी जगहों की पूर्ण सफाई पूर्वाह्न 08:00 से पूर्व करना अनिवार्य होगा।

**निर्देश :-** एजेंसी द्वारा प्रातः 04:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित अति० प्राथमिक स्वा० केन्द्र/स्वा० केन्द्र के LI में क्रमशः 2,6,4 तथा दो सफाई कर्मी हमेशा मौजूद रखेंगे तथा उनकी उपस्थिति संबंधित अस्पताल में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सभी सफाई कर्मी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक/अस्पताल प्रबंधक/स्वास्थ्य प्रबंधक प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश का पालन करेंगे।

### (ग) योग्यता (Eligibility Criteria) -

**तकनीकी निविदा :- (निम्नलिखित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा)**

1. संबंधित एजेंसी को दो वर्ष का समान प्रकृति में सरकारी, गैर-सरकारी, सरकारी उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. संबंधित एजेंसी का विगत तीन वर्ष में कम से कम एक वर्ष से 1 लाख रू० का Payment Certificate समान (Similar) प्रकृति के कार्य का एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
4. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का रू० 2,00,000/- से अधिक का वार्षिक टर्न ओवर
5. र एवं संतोषप्रद कार्य सम्पादन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. एजेंसी/फर्म को बैंक द्वारा जारी एक लाख रुपये से अधिक का Solvency Certificate लगाना अनिवार्य होगा।
7. एजेंसी/फर्म के पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाईसेंस अद्यतन होना अनिवार्य होगा।
8. अग्रधन के रूप में सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के लिए रू० 50,000/- एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अति० प्रा० स्वा० केन्द्र/स्वा० केन्द्र LI के लिए रू० 25,000/- (पच्चीस हजार रू० मात्र) की दर से बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से भुगतान संलग्न करना होगा।
9. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को अद्यतन आयकर,सेवाकर एवं वाणिज्यकर प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।



## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

10. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथपत्र संलग्न करना होगा।

### (घ) वित्तीय निविदा :-

1. एजेंसी/फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा-  
साफ-सफाई :-

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थानों के नाम	आंतरिक परिसर (प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन)	बाहरी परिसर (प्रतिमहीना)
1	सदर अस्पताल		
2	अनुमंडलीय अस्पताल		
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
4	L1 स्वास्थ्य केन्द्र तथा अति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		

### अन्य शर्त :-

- निविदा स्वीकृत होने पर 100/- गैर न्यायिक स्टॉम्प पर एकरारनामे पेपर में हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की अध्यक्षता में की जायेगी। प्रतिवर्ष कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार किया जायेगा।
- समीक्षा में कमी जाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनाम/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का आकलन जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा द्वारा किया जाएगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथा दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। भुगतान के पूर्व श्रोत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों को पहचान पत्र एवं एक नीला ड्रेस उपलब्ध कराना होगा जिस पर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मियों का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- चयनित एजेंसी को कार्यादेश मिलने के उपरांत कार्यरत कर्मियों का नियमानुकूल EPF/ESI में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त निविदा में नवादा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारी उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदादाता प्रकाशन के तिथि

छोटा परिवार सुख का आधार

District Health Society, Nawada  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार

Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे भी निविदा में शामिल नहीं हो सकते हैं।

- यदि न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसे निर्गत कार्यादेश रद्द करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है।

*2/10*  
*30/11/15*  
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

*2/10*  
*30/11/15*  
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा



सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472



बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

### कार्य की विवरणी (कपड़ों की धुलाई)

#### (क) कपड़ों की धुलाई :-

1. प्रत्येक बेड का बेडशीट, तकिया कभर, चादर, कम्बल, मच्छरदानी एवं पर्दा आदि धोना स्टार्चीकरण और आयसन करना एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
2. ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई प्रत्येक ऑपरेशन के बाद एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
3. कपड़े की धुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाली सभी समग्रियों की आपूर्ति एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
4. सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वा0केन्द्र L1 में वाशिंग मशीन से कपड़ों की धुलाई करना होगा।
5. वाशिंग मशीन के प्रचालन हेतु विद्युत/जेनरेटर की व्यवस्था एजेंसी को स्वयं करनी होगी।

#### (ख) योग्यता (Eligibility Criteria) -

##### तकनीकी निविदा

1. संबंधित एजेंसी को सरकारी, गैर-सरकारी, सरकारी उपक्रम, विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में दो वर्ष समान प्रकृति के कार्य का अनुभव अनिवार्य है।
2. संबंधित एजेंसी का विगत तीन वर्ष में कम से कम एक वर्ष 1 लाख ₹0 का Payment Certificate समान (Similar) प्रकृति के कार्य में एवं सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का अकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
4. संबंधित एजेंसी के विगत दो वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर ₹0 2,00,000/- (दो लाख) से अधिक का प्रमाण पत्र एवं संतोषप्रद कार्य सम्पादन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. एजेंसी/फर्म को बैंक द्वारा जारी ₹0 50,000/- (पच्चास हजार ₹0) से अधिक का Solvency Certificate लगाना अनिवार्य होगा।
6. एजेंसी/फर्म के पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाईसेंस अद्यतन होना अनिवार्य होगा।
7. एजेंसी/फर्म /संस्था का अद्यतन आचर सेवा कर एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अग्रधन के रूप में ₹0 10,000/- की दर से बैंक ड्राफ्ट को जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से भुगतये संलग्न करना होगा।
9. संबंधित एजेंसी/फर्म/संस्था को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/सरकारी उपक्रम या अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथपत्र संलग्न करना होगा।

#### (घ) वित्तीय निविदा :-

2. एजेंसी/फर्म को वित्तीय निविदा में प्रस्तावित दर निम्न प्रपत्र में समर्पित करना होगा-

#### कपड़ों की धुलाई :-

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्थानों के नाम	माहवार
1	सदर अस्पताल	
2	अनुमंडलीय अस्पताल	
3	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र	
4	L1 स्वास्थ्य केन्द्र तथा अति0 प्रा0स्वा0केन्द्र	

## छोटा परिवार सुख का आधार

# District Health Society, Nawada जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा




सदर अस्पताल, नवादा - 805110  
Sadar Hospital, Nawada- 805110  
Phone : 06324-217472




बिहार सरकार Website : [www.dhsnawada.bih.nic.in](http://www.dhsnawada.bih.nic.in), E-mail : [dhsnawada@gmail.com](mailto:dhsnawada@gmail.com)

### अन्य शर्तें :-

- निविदा स्वीकृत होने पर गैर न्यायिक स्टॉम्प पर एकरारनामे पेपर में हस्ताक्षर करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध अवधि तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यों की समीक्षा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा की अध्यक्षता में की जायेगी। प्रतिवर्ष कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार किया जायेगा।
- समीक्षा में कमी पाये जाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।
- एकरारनामा/अनुबंध को तीन माह के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- सफल एजेंसी/फर्म को जमानत राशि के रूप में कार्यालय आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा के नाम से देय जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्र के मुगतान पर रोक लगा दी जायेगी।  
अनुमानित कुल व्यय का आकलन जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा द्वारा किया जाएगा।
- जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी।
- एजेंसी को जमानत राशि का किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- दर सभी कर सहित होना चाहिए तथा दर तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। मुगतान के पूर्व श्रांत पर सभी अनुमान्य करों की कटौती की जायेगी।
- उक्त निविदा में नवादा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग/जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारी उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
- यदि न्यूनतम दर दाता द्वारा असंतोषजनक कार्य किया जाता है तो उसे निर्गत कार्यादेश रद्द करते हुए द्वितीय न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है तथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

  
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।

  
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,  
जिला स्वास्थ्य समिति, नवादा।